वित्त निर्देश 18/2002

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 393 /369/2002/बी-1/चार, रायपुर, दिनांक 18 मार्च, 2002.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.7.2001 से मंहगाई भत्तें की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-10-2000-सी-चार, रायपुर, दिनांक 16/11/2000. एवं वित्त विभाग ज्ञाप क्रंमाक 70/वित्त/नियम/2001 दिनांक 20.8.2001 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार संशोधित की जावें :-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.7.2001 से	45 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.7.2001 से 31.3.2002 तक बढ़े हुये महंगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में एरियर के कारण देय अतिरिक्त आयकर की कटौती स्त्रोत पर करते हुए, जमा की जावेगी एवं माह अप्रेल, 2002 (भुगतान माह मई, 2002) से महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।

2. मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।

4. महंगाई भत्ते की गणना के लिये ''वेतन'' से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।

5. वेतन पुनरीक्षिण नियम 1998 के अंतर्गत जो कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प दियें है, उन्हें भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारयों के महंगाई भत्ते की गणना हेतु वेतन से प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो) औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त् को शामिल किया जाना है ।

6. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।

7. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.टी.सी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगें ।

8. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन. वित्त विभाग

पृ.क्र. 394 /369 /2002/बी-1/चार रायपुर, दिनांक 18 मार्च, 2002.

प्रतिलिपि:-

राज्यपाल छत्तीसगढ़ के सचिव, रायपुर,
रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) रायपुर,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) रायपुर,
मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर,

महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 छत्तीसगढ़, ग्वालियार,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़,
समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग